



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1943 (श10)

(सं0 पटना 257) पटना, मंगलवार, 6 अप्रील 2021

ifjogu foHkx

vfHk puk

31 मार्च 2021

16 03@vkojyksMx MMyk fuMj. 14&01@2020 14/11/2414-jkt; es py jgh cMh , os egloinwli ifj; kstuk ds fy, clyw, os fxVw ds ifjogu grqfo'ksk ifjflEkr; kae tuqgr es 14 pDds , os ml/s vfHk pDds okys Vtka/s clyw, os fxVw ds ifjogu grq foHkxh; vfHk puk 108536 finukd&16-12-2020 ds ikoHku es NW (Relaxation) nus, oarnu kij okgu ds fuMjir yntu ferk ds vuq i MMyk dth Apkbl ds fuMj. k ds /ekl es ekvjoqgu vfHku; e 1988 14 FMK 14/12/2019 dth MMyk 115 es jkt; 1 jdlj dks inr 'kDr; kae dk izkx djrs grq foHkxh; vfHk puk 10 8536 finukd 16-12-2020 es fuEufyfkr fcny tkws tkrsgkk

1- सरकार की व्यापक जनहित की महत्वपूर्ण परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-8536, दिनांक-16.12.2020 में विशेष परिस्थिति में relaxation हेतु एस.जे.वी.एन. थर्मल (प्रा०) लिमिटेड द्वारा बक्सर जिले के चौसा के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर प्रतिवेदित संख्या में वाहनों से बालू एंव गिट्टी के परिवहन की अनुमति संबंधित जिला पदाधिकारी को संसूचित की जायेगी।

2- उक्त एकमात्र जनहित की परियोजना के लिए परिवहन विभाग द्वारा 14 चक्का या इससे अधिक चक्के के वाहनों को बालू/गिट्टी के परिवहन हेतु अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति दी जाती है। साथ ही मोटरवाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के निबंधन पुस्त में निर्धारित लदान क्षमता के आलोक में बालू एंव

गिट्टी ढुलाई हेतु 12 या इससे अधिक चक्के के ट्रकों में काउल चेचिस के सब फ्रेम के उपर अधिकतम ऊँचाई 3.5 फीट रहेगी।

३- संवेदकों द्वारा निदेश का सख्ती से अनुपालन कराना संबंधित कार्य ऐजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।

*:g vffffl puk fcglj xtV eabl ds idk'lu dfrffk / s i lllkoh gloska
fcglj&jkt; iky ds vlnsk / ,
kg0%&vli "V/
/jdlj ds / fpoA*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 257-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>